डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

रामसिह पुत्र नारायण मीना निवासी नांगल माडल तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. पूरण पुत्र किरोडी जाति मीना निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम।
2. रीना पत्नि पूरण जाति मीना निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:– 136/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हमारे मिनजानिब मुदायलह .....पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व निम्नानुसार डिकी दी जाती है कि :–

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नांगल माडल की आराजी ख0न0 676/0.30 है0 मे वादी के कब्जे काश्त मे महाहमत मदाखलत पैदा नही करे,

निज.....मुबलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..... अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.06.2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:23 IST
Reason: SelfAttested

मु0न0:—136 / 2023

उनवानः— रामसिंह बनाम पूरण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 136 / 2023

दिनांकः— 28.08.2023

पीठासीन अधिकारीः— पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

1. रामसिह पुत्र नारायण मीना निवासी नांगल माडल तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. पूरण पुत्र किरोडी जाति मीना निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम।
2. रीना पत्नि पूरण जाति मीना निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकट वादी

निर्णय दिनांक 23.06.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नांगल मांडल की आराजी ख0न0 1570 / 0.37, 1571 / 0.01, 1572 / 0.24, 335 / 0.11, 676 / 0.30, 753 / 0.14, 754 / 0.14, 809 / 0.14, 811 / 0.25, 833 / 0.25, 938 / 0.19 मे वादी 1 / 4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी वादी व अन्य सहखातेदार काश्तकार के कब्जे है, जिससे अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, और बाहमी बटवारे मे वर्णित आराजी मे से ख0न0 676 व अन्य आराजी आयी है। जिस पर वादी काबिज एवं दखील है।

यह है कि प्रतिवादीगण लठैत गिरोहबन्ध राजनैतिक पहुच वाले व्यक्ति है। जिन्होने एक गिरोह गठित कर रखा है तथा व वादी को हैरान परेशान कर सायल की आराजी पर कब्जा करने पर उतारू है। वादी द्वारा ख0न0 676 मे पाटौर पोश निर्माण कर रखा है जिसके बाद उक्त पाटौर पोश को उतरवाकर पक्का निर्माण करवाया है। निर्माण पीछे की तरफ 4 फिट छोडकर निर्माण किया है। उक्त जगह मे पाटौरपोश मकान की दीवार के नीव के आसार आज तक है जिसमे कृषि यंत्रालय रखने चारा फूस रखने रिहायश के काम मे आ रही है तथा पीछे की तरफ खिडकी रोशनदान व पानी निकलने के लिए परनाले लगा रखे है, जिस पर प्रतिवादीगण गलत व अवैध रूप से बिना अधिकार के कब्जा करने पर उतारू है।

बॉका दिनांक 04.08.2023 का है कि वादी ख0न0 676 के कृषि विकासार्थ बने मकानियत के पीछे की दीवर मे रिस रहे पानी को बंद करने गया तो गैरसायलान गाली गलौच करने लगे और कहने लगे की यह जगह हमारी है इसलिये उक्त आराजी पर कब्जा करके तुम्हारी दीवार के सटवा नीव खोदकर निर्माण करके रहेगे इस पर वादी द्वारा गणमान्य व्यक्तियो को एकत्रित कर प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया मगर वे किसी की एक मानने को तेयार नही है तथा आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करने पर आमदा है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:23 IST
Reason: SelfAttested

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण [illegible] जारी कर प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे ग्राम नांगल मा[illegible] 0.30 है0 मे आराजी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की [illegible] नही करे, नाही किसी अन्य से करावे। वादी के मकान की दीवार के लगवा नीव नही खोदकर नि[illegible] कार्य नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण प्रथम नियत पेशी पर उपस्थित हुये, उसके उरान्त अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने वादपत्र मे समर्थन मे अपना स्वंय का शपथ पत्र पेश किया व ग्राम नांगल माडल के खाता न0 294 की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–1, खाता न0 171 की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–2, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3 प्रस्तुत किये।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि वादपत्र मे वर्णित आराजीयात मे वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा बकिया हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबध किसी प्रकार का नही है, और बाहमी बटवारे मे वर्णित आराजी मे से ख0न0 676 व अन्य आराजी आयी है। जिस पर वादी काविज एवं दखील है। प्रतिवादीगण आये दिन वादी को हैरान परेशान कर आराजी ख0न0 676 पर कब्जा करने पर उतारू है। वादी द्वारा ख0न0 676 मे पाटौर पोश निर्माण कर रखा है जिसके बाद उक्त पाटौर पोश को उतरवाकर पक्का निर्माण करवाया है। निर्माण पीछे की तरफ 4 फिट छोडकर निर्माण किया है। जिस पर प्रतिवादीगण गलत व अवैध रूप से बिना अधिकार के कब्जा करने पर उतारू है। वादी ख0न0 676 के कृषि विकासार्थ बने मकानियत के पीछे की दीवर मे रिस रहे पानी को बंद करने गया तो प्रतिवादीगण गाली गलौच करने लगे इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी।अतः वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि ख0न0 676 मे वादी के हिस्से की आराजी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे। वादी के मकान की दीवार के लगवा नीव नही खोदकर निर्माण कार्य नही करे।

वादी वकील की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल ग्राम नांगल मांडल की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के ख0न0 676 रकवा 0.30 है0 मे वादी 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है, शेष हिस्से मे अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। लेकिन प्रतिवादीगण दर्ज रिकार्ड नही है, प्रतिवादीगण प्रथम नियत पेशी पर उपस्थित होने के बाद अनपस्थित न्यायालय रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। वर्णित आराजीयात से कोई संबध किसी प्रकार का होता तो न्यायालय मे अपना पक्ष प्रस्तुत करते, उक्त विवेचन अनुसार वादी का दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता हैं।

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नांगल माडल की आराजी ख0न0 676/0.30 है0 मे वादी के कब्जे काश्त मे महाहमत मदाखलत पैदा नही करे, पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मण्डरायल जिला-करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:45:23 IST
Reason: SelfAttested